


राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या 2123/2010.....जिला.....जयपुर.....

उनवान- स्वास्तिक एडिबल्स प्रा0लि0 जयपुर बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी (ए/ई) जोन-प्रथम, जयपुर।

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
19.03.2015	<p style="text-align: center;"><u>एकलपीठ-कैम्प जयपुर</u> <u>श्री मनोहर पुरी - सदस्य</u></p> <p>अपीलार्थी की ओर से श्री विक्रम गोगरा व प्रत्यर्थी विभाग की ओर से श्री एन के बैद, उपराजकीय अभिभाषक उपस्थित।</p> <p>अपीलार्थी के अभिभाषक द्वारा हस्ताक्षरित प्रार्थना-पत्र पत्रावली पर उपलब्ध है, जिसमें अपीलार्थी ने निवेदन किया कि विचाराधीन प्रकरण में राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र संख्या एफ/12(16)एफडी/कर/2009-188 दिनांक 09.02.2015 का लाभ लेना चाहते हैं, इस हेतु प्रकरण वापस लेना (Withdraw) करना चाहते हैं।</p> <p>इस पर विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने प्रस्तुत अपील को विद्वान करने के संबंध में किसी प्रकार की आपत्ति प्रकट नहीं की गयी।</p> <p>फलस्वरूप अपीलार्थी के कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध प्रार्थना पत्र के आधार पर हस्तगत अपील विद्वान करने की अनुमति दी जाती है। अतः प्रस्तुत अपील संख्या 2123/2010/जयपुर जरिये विद्वान खारीज की जाती है।</p> <p>आदेश सुनाया गया।</p>	<p style="text-align: right;">  (मनोहर पुरी) सदस्य </p>